...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला–बारां (राज.)

वाद/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
34/23	212 RTA	गेहूंखेडी	छबडा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
काशीलाल	बनाम	सतानन्द वगै.

वकील :- श्री राकेश सोनी **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
26/6/23	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरूद्व अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के दादा फून्दा पुत्र लक्ष्मण जाति लोधा निवासी गेहंखेडी तह. छबडा का था जिसकी कृषि आराजीयात ग्राम गेहूंखेडी , भीलवाडी एवं ग्राम सुभानपुर जदीद में स्थित थी। प्रार्थी के दादा का स्वर्गवास सेटलमेन्ट पूर्व हो गया था। दादा फून्दा ने अपनी भूमियों का बटवारा अपने पुत्रों में कर दिया था मुताबिक बंटवारा भूमियां पुत्रों को संभला दी तथा उसी अनुरूप पुत्र व उनके वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी गण काबिज रह कर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम गेंहूखेडी की कुल भूमि 21.13 बीघा एवं 9.09 बीघा, ग्राम सुभानपुर जदीद की कुल भूमि 17 बीघा एवं ग्राम भीलवाडी की कुल भूमि 13. 09 बीघा एवं 3.08 बीघा थी जो तीनों पुत्रों में प्रत्येक पुत्र को 1/3, 1/3 हिस्से अनुसार 21.13 बीघा प्रत्येक को आती है। प्रार्थी के दादा फून्दा की भूमियात का बंटवारा पूर्व में ही पुत्रों को कर दिया था तथा बाबूलाल व रामनारायण ने पुनः काशीलाल के हिस्से में आई भूमि व उसके द्वारा खरीदी गई भूमि का फिर फून्दा के वारिसान में तीन हिस्सो का आदेश करा लिया गया जिसके कारण काशीलाल के हिस्से में से 1/3,1/3 हिस्सा फून्दा ने दे दिया था तथा माननीय न्यायालय के आदेश होने से काशीलाल के हिस्से की भूमि मे से 1/3–1/3 भूमि मिल गई। जिसका परिणाम यह हुआ कि रतना व दौल्या के अब 29.13 बीघा हो जायेगी और माधो के वारिस प्रार्थी काशीलाल के हिस्से मे केवल 8 बीघा भूमि रह जायेगी। अप्रार्थी गण को अधिक भूमि खाते दर्ज होने के कारण भूमि को रहन बेचान करने पर आमादा है। अप्रार्थी गण को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विवादित आराजी का रहन बेचान नहीं करे। वकील प्रार्थी को सुना गया पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकरन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम गेहूंखेडी तह. छबडा के खाता संख्या 14 के कुल खसरा नं. 13 किता रकबा 24.02 बीघा एवं ग्राम सुभानपुर के खसरा नं. 30 रकबा 10.05 बीघा, खसरा नं. 29 रकबा 4.01 बीघा, खसरा नं. 38 रकबा 2.14 बीघा एवं ग्राम भीलवाडी के खसरा नं. 92 रकबा 5.18 बीघा, खसरा नं. 93 रकबा 7.11 बीघा, खसरा नं. 96 रकबा 3.08 बीघा पर मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति दिनांक 16/8/23 तक बनाये रखे। प्रकरण दर्ज रजि. किया जावे। अप्रार्थी गण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 16/8/2023 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरमाया। उभय निष्पादित प्रार्थना पेश नहीं उक्त समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते निष्पादित प्रार्थना दिनांक 14.10.25 को पेश हो।	
14.10.25 पत्रावली पेश हुई। मुलाहिजा फरमाया। उभय प्रकरण में सम्बन्धित न्याय वाद के पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है। इस प्रकरण में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। प्रकरण इसी स्टेज पर ड्रॉप किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार तैयार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।	